भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2934
13.08.2026 को उत्तर के लिए

संकटपूर्ण स्थलों का विसंदूषण

2934. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने विसंदूषण और स्थल पुनर्स्थापन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों अथवा विशेषज्ञों के साथ सहयोग किया है अथवा करने की योजना बना रहा है, तथा ऐसे सहयोग से अपेक्षित परिणाम अथवा अपेक्षाएं क्या हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) नियामक उपायों और प्रवर्तन तंत्रों सहित नए संकटपूर्ण/संदूषित स्थलों के सृजन को रोकने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या मंत्रालय ने कुछ स्थलों पर अभी तक विसंदूषण प्रयास आरंभ नहीं किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने हेतु विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 जुलाई 2025 की अधिसूचना के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत "पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 (ईपीएमसीएस नियम, 2025)" अधिसूचित किए हैं। उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित तकनीकी मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार स्थल मूल्यांकन एवं सुधारात्मक कार्यकलाप करने हेतु संदर्भ संगठनों (आरओ) को पैनलबद्ध करने का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इन क्षेत्रों में अपेक्षित क्षमता और अनुभव धारक 21 संदर्भ संगठनों को पैनलबद्ध किया है।

(घ) : हानिकारक अपशिष्टों के पर्यावरणीय रूप से समुचित प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पूर्व-निर्धारित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रहस्तन और सीमापार संचलन) नियम, 2008 के स्थान पर परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (एचओडब्ल्यूएम नियम, 2016) अधिसूचित किए हैं। उक्त नियमों के अनुसार, हानिकारक और अन्य अपशिष्टों का हथालन, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन, उपयोग, शोधन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, पूर्व-प्रसंस्करण, सह-प्रसंस्करण, उपयोग, बिक्री के लिए प्रस्तुत करने, हस्तांतरण या निपटान संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से प्राधिकार प्राप्त करने के बाद और उक्त नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाना है। इन नियमों के तहत संबंधित प्राधिकारियों के कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया हैं। इसके अलावा, उक्त नियमों के नियम 23 के अनुसार, इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में निपटान केंद्र के अधिभोगी, आयातक या निर्यातक और संचालक को सीपीसीबी की पूर्व स्वीकृति से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति द्वारा लगाए गए वित्तीय दंड का भुगतान करना होगा।

(ङ) से (छ) : ईपीएमसीएस नियम, 2025, संदूषण की रोकथाम और संदूषित स्थलों के समय पर प्रबंधन के लिए विनियामक उपाय निर्धारित करते हैं। उक्त नियमों के तहत स्थल आकलन, उपचार और पुनर्बहाली की प्राथमिक जिम्मेदारी "प्रदूषणकर्ता ही भुगतान करेगा" सिद्धांत के अनुसार, संबंधित अधिभोगी, संचालक या प्रदूषक की ही होगी। इन नियमों के अंतर्गत : (i) आशंकित और संभावित संदूषित स्थलों की पहचान, (ii) प्रारंभिक स्थल-आकलन, (iii) विस्तृत स्थल-आकलन, (iv) सुधार योजनाओं की तैयारी और अनुमोदन, (v) सुधार उपायों का कार्यान्वयन तथा (vi) सुधार के बाद निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध तंत्र भी प्रदान किया गया है। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 7 स्थलों का सुधार-कार्य जिम्मेदार पक्षों द्वारा संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गहन पर्यवेक्षण और निगरानी में कार्यान्वित किया जा रहा है।
